

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 जून 2019—ज्येष्ठ 27, शक 1941

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2019

क्र. एफ-2-7-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26 फरवरी 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में आयुष विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची "एक"

(1) आयुष विभाग

## अनुसूची-“दो”

विभाग का नाम:- आयुष विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	नि:शक्तजनो के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8+9)	रिमांक	
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि 1.5 %	बहरे और कम सुनने वाले 1.5 %	लोकोमोटर डिसेबिलिटी (सरेखलपाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बोनोपन, एसिडअटैक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी) 1.5 %			ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लार्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता 1.5 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय	आयु.चिकि.अधि.	678	678	41	12	20	07	02	41	दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा में। हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थिबाधित विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य
	होम्यो.चिकि.अधि.	39	39	02	01	01	-	-	02	
	यूनानी चिकि.अधि.	25	25	01	-	01	-	-	01	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अलका श्रीवास्तव, सचिव.